शोध मंथन Vol. XII No.IV Oct.-Dec. 2021 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.354 (SJIF)

महिला पंचायती नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण का समाज में बदलती तस्वीर

अंजू यादव
रिसर्च स्कॉलर, समाजशास्त्र विभाग
श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी
गजरौला, अमरोहा (उ०प्र०)
ईमेलः *anjumannu92@gmail.com*

प्राप्तिः 27.08.2021
स्वीकृतः 31.08.2021

डॉ० करन सिंह चौहान
रिसर्च सुपरवाइजर
श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी
गजरौला, अमरोहा (उ०प्र०)

सारांश

महिला पंचायती नेतृत्व एवं महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण का अधिगम जिस रूप में आज हमारे समकक्ष है उसका सामाजिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि महिला पंचायत के नेतृत्व एवं महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण केवल उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष तक ही सिमटकर रह गया है| महिला पंचायती नेतृत्व एवं महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य हमारा उनको केवल पुरुषों को जो अधिकार प्राप्त है उनको भी मिलना चाहिए केवल यही तक सीमित नहीं है। बल्कि महिला पंचायती नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण करने का हमारा यहां उनके सभी पक्षों को मजबूत बनाना और हर परिस्थिति का डटकर सामना कर पाए और खुद को शक्तिहीन ना समझें और उनके मस्तिष्क में से उस रूढ़िवादी धारणा को बाहर निकालना है जो उनके मस्तिष्क के किसी कोने में यह डर बैठा हुआ है कि यह कार्य तो केवल पुरुष वर्ग ही कर सकते हैं। मैं एक महिला होने के नाते इस कार्य को करने में असक्षम हूं।

उनके मस्तिष्क में बैठी हुई रूढ़िवादी सोच रूपी जंग को मिटाना है।

इससे हमारे समाज में व्याप्त जेंडर रूपी भेदभाव को खत्म करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर पाएंगे और समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को दूरे कर पाएंगे जैसे **कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह** आदि।

मुख्य बिन्दु

चाकू की नोक ,सिमट कर, रूढ़ीवादी, कुरीतियां, समकक्ष, विश्लेषण ।

प्रस्तावना

विगत वर्षों से महिला की छवि जो एक असहाय पीड़ित एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित और पुरुषों की मानसिकता के मुताबिक जीवन यापन करने वाली थी आज वह सशक्त आत्मनिर्भर, निर्णयकारी और संवैधानिक अधिकारों की समाज स्वयं निर्णय लेने वाली आत्मसम्मान के साथ भारत निर्माण में पुरुषों के साथ अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं। महिला की वर्तमान सशक्त स्थिति को प्राप्त करने में **डॉ भीमराव अंबेडकर, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, सावित्री ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कमलादेवी चट्टोपाध्याय,** का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिलाओं की स्वतंत्रता एवं सशक्तिकरण से कई रूढ़िवादी संस्थाएं एवं व्यक्ति भी आहत हैं और

महिलाओं को आज भी लाचार एवं असहाय के रूप में दिखाने के लिए उत्सुक रहती हैं। यदि वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो महिलाओं द्वारा पुरुषों के एकाधिकार को चुनौती मिली है किंतु आज भी महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण एवं आत्म सम्मान नहीं मिल सका जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम भारतवर्ष के ग्राम पंचायत के चुनाव में जनप्रतिनिधियों के लिंगानुपात में वषद्धि तो हुई है किंतु जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित महिला के स्थान पर उनके पति द्वारा ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का संपादन किया जाता है और महिला जनपद में भी एक रिमोट कंट्रोल की भांति एक स्टंपर बन कर रह जाती हैं। किंतु हमारे रिसर्च क्षेत्र हरियाणा राज्य से सफीदों ग्राम पंचायत में महिला सरपंच से मिलकर मुझे उपरोक्त बात मिथ्या सी लगी क्योंकि यह महिला सरपंच स्वयं ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को सशक्त होकर एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में पूर्ण करती है और उन महिला प्रतिनिधियों के लिए एक मिसाल कायम करती है जो अपने कार्य का संपादन खुद नहीं करती हैं।

पंचायती राज

भारत देश गांव का देश कहलाता है जहां **68.84%** जनसंख्या गांव में निवास करती है। वहां पंचायती राज व्यवस्था के नाम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ **2 अक्टूबर 1952** में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत हो गया था।

पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए गए -

जी० वी० के० राव समिति के अनुसार–

ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा **1985** में जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की।

1. जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।

2. जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए।

3. प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राजस्थान के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

4. एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए।

एल्0एम0 सिंघवी समिति के अनुसार–

1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार् पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिएएक समिति का गठन एल्0 एम0 सिंघवी की अध्यक्षता में किया।

थुंगन समिति के अनुसार -

1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति के थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गई। इसी समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया इस समिति ने निम्न सिफारिश की थी।

1. पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए ।
2. गांव प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज ।
3. जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की दूरी होना चाहिए।
4. संस्थाओं का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए।

गाडगिल समिति के अनुसार -

1988 में पीएन गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता है।

शोध प्रश्न

पंचायती राज व्यवस्था में महिला पंचायत नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण के परिवर्तन तथा प्रभाव को ज्ञात करना है ।

उद्देश्य

देश की आधी आबादी को ग्राम पंचायत में आधी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु विगत एवं वर्तमान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर मुकडरी सहमी कंप कपाती महिलाओं की स्थिति में सुधार का अवलोकन करना है।

शोध विधि

प्रस्तुत लेख एक आनुभाविक शोधपत्र है जिसके लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को आधार बनाया गया है द्वितीयक आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया है और प्राथमिक तथ्यों को शोधार्थी द्वारा एकत्रित किया गया है।

तथ्यों का संकलन

तथ्यों का संकलन मेरे द्वारा गुणात्मक और परिमाणात्मक स्रोतों के माध्यम से किया गया है शोध समस्या पर साहित्यिक अवलोकन हेतु विगत वर्श तक प्रकाशित शोध पत्रिकाओं एवं जनरल मे उपलब्ध विशय सामग्री का उपयोग किया है।

उपलब्धियां

1. ग्राम पंचायत में महिला प्रतिनिधि की बदलती तस्वीर

पंचायतों में महिला आरक्षण घोषित होने के बाद जब महिलाएं ग्राम पंचायतों में चुनकर आई थी लेकिन उस समय पंचायत के काम उनके पति या रिश्तेदार संभालते थे। उस समय महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के सारे सपने बिखरते हुए प्रतीत हुए थे लेकिन धीरे–धीरे स्थिति बदली और अब ग्राम पंचायतों में चुनी हुई महिला प्रतिनिधि अपने पति व पुरुष वर्ग के हाथ की कठपुतली मात्र नहीं रह गई हैं। अब वह आगे बढ़कर फैसले ले रही हैं और महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार कर रहे हैं। वह अब इस भ्रम को तोड़ रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की राजनीतिक कार्य क्षमता में कम रुचि है।

2. महिलाओं के कौशल विकास में वृद्धि

पूर्व और वर्तमान की सरकार की अनेक योजनाओं से लाभान्वित हो कर ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के कौशल विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्तमान सरकार की योजनाओ से लाभान्वित

होकर ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के कौशल विकास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जो महिलाओं को निर्णय लेने में सक्षम अपनी समस्याओं को समाज के समकक्ष तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने में सक्षम हुई हैं। जो पहले की अपेक्षा महिलाओं को अधिक सशक्त एवं आत्मबल युक्त बनाता है। जिसका परिणाम हमें एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में दिखाई देता है जिससे सभी समाज की महिलाओं में उनकी **सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक अधिकार, अवसरों की समानता,बराबरी का दर्जा, बेहतर स्वास्थ्य** आदि प्रक्रियाओं से गुजरकर एक सशक्त महिला का निर्माण हुआ है।

3. सशक्तएवं आत्मनिर्भर महिलाएं

भारतवर्ष के ग्राम पंचायत में महिलाओं ने राज्य सरकारों के द्वारा दिए गए आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई और ग्राम पंचायत के चुनाव में अपना परचम लहरा रही हैं। अब महिलाएं भूण हत्या को रोकने में सजग हैं और अपनी साक्षरता को बढ़ाने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। जिससे महिलाओं की **राजनीतिक जागृति एवं प्रशासनिक क्षमताओं का विकास, ग्राम पंचायत के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास** , एवं विभिन्न सामाजिक योजनाओं से गांव के आर्थिक, सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है! जिससे महिलाएं अपने अधिकार के प्रति अधिक जागरूक हुई है एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर बेरोजगार से रोजगार प्राप्त करके आत्मनिर्भर हुई है ।

"जिम्मेदारी संग नारी, भर रही उड़ान,
ना कोई शिकायत, ना कोई थकान।"

4. मातृत्व सत्ता का विकास

ग्राम पंचायत के चुनाव में महिला प्रतिनिधि की भागीदारी बढ़ने से उनकी मानसिकता में परिवर्तन तो हुआ ही साथ साथ कन्या भूर्ण हत्या में भी कमी देखने को मिली है। जो जनगणना **2011** में महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि दर पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक रही है। **केंद्र सरकार की योजना -बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** और **हरियाणा सरकार की योजना-आपकी बेटी हमारी बेटी** योजना से महिला जनसंख्या में वृद्धि के साथ–साथ उनकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी उनकी संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

5. महिला पंचायती नेतृत्व में ग्राम पंचायत का निर्माण

महिला आरक्षण एवं सशक्तिकरण से पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले पुरुषों के सपने ध्वस्त होते हुए प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि अब ग्राम पंचायत में चुनी जाने वाली महिला जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर सशक्त फैसले ले रही हैं और महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार कर रही हैं। पुरुष वर्चस्व होने पर ग्राम पंचायतों में सिर्फ आधी आबादी (पुरुष) ही ग्राम पंचायत से जुड़ी होती थी। किंतु ग्राम पंचायत में महिला भागीदारी में वृद्धि होने से संपूर्ण आबादी ग्राम पंचायत की योजनाओं से लाभान्वित होती है जो महात्मा गांधी के ग्राम पंचायत के सपने को साकार करती है।

"ख्वाहिशों की जब पंचायत बैठती है,
तब उम्मीदें सर झुकाकर कोने में खड़ी मिलती है।"

निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि महिला वर्ग के शोषित होने का मुख्य कारण जो नजर आ रहा था वह उनका **डर, भय, आत्मबल** और **आत्मनिर्भरता** का ना होना। महिलाओं को सच में इस **शोषित रूपी जेल** से रिहा करवाने के लिए महिला पंचायत नेतृत्व और समाज में होने वाले सभी **सामाजिक, राजनीतिक ,धार्मिक ,शैक्षिक** कार्यों में खुलकर भाग लेने का अवसर प्रदान, और 'रूढ़िवादी सामाजिक जंगल से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक प्रयास किया गया जिससे तीव्रगति से परिवर्तित हो रही भारतीय राजनीतिक संरचना में बढ़ती हुई महिला सहभागिता एक सुखद है। महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ कागजों पर न होकर धरातल पर दिखता है, जो महिलाओं को पंचायत व्यवस्था में महत्व देकर उनमें एक परिपक्व सोच एवं समझ विकसित करता है। जिससे वे अपने समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रही है।

संदर्भ सूची

1. के0 साथी (1998) 'संपा एंपावरमेंट ऑफ वूमेन' अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली ैं।
2. प्रभा आप्टे (1996) 'भारतीय समाज में नारी' क्लासिकल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर ैं।
3. विशाखदत्त (1992) ''पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका'' पब्लिकेशन नई दिल्ली।
4. एन सेन (1994) ''ए रिव्यू ऑफ वुमंस रोल इन पंचायती राज'' पब्लिकेशन नई दिल्ली।
5. सुरेंद्र कटारिया (2004) का शोध लेख ''पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण'' कुरुक्षेत्र।